



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 08.07.2025

- कानपुर देहात पुलिस द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही।
- थाना रूरा पुलिस द्वारा हत्या की घटना में शामिल 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- थाना रूरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-65/25 धारा 103(1)/191(2)/191(3)/352/351(2)/351(3) बीएनएस व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट में वांछित था अभियुक्त।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री हरीश चन्दर के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री अरविन्द्र मिश्र के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, वादिनी श्रीमती रामा देवी पुत्री सीताराम निवासिनी ग्राम उलरापुर थाना रूरा कानपुर देहात द्वारा दिनांक 08.03.2025 को दी गयी लिखित तहरीर जिसमें वादिनी के भाई को जान से मारने की नीयत से मारपीट करना व इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना रूरा पर मु0अ0सं0-65/25 धारा 103(1)/191(2)/191(3)/352/351(2)/351(3) बीएनएस व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट बनाम 08 नफर नामजद अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया था। थाना रूरा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त लोथा उर्फ तेज सिंह पुत्र स्व0 श्री राम सेवक निवासी ग्राम उलरापुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात को दिनांक 08.07.2025 को डेरापुर रोड से करीब 50 मीटर की दूरी पर उलरापुर नहर पटरी से समय 10:35 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

लोथा उर्फ तेज सिंह पुत्र स्व0 श्री राम सेवक निवासी ग्राम उलरापुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 48 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना रूरा पुलिस